डकैती व गोली मारने के दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

अर्थदंड अदा न करने पर भुगतना होगा दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : डकैती व लूट के प्रयास में चोट पहुंचाने के 14 वर्ष पुराने मामले में दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2010 को सोनवा क्षेत्र के भिठिया चिचड़ी निवासी कल्पनाथ अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान बहराइच जिले के रिसिया क्षेत्र के विशुनापुर निवासी तोताराम, नानपारा क्षेत्र के लीलापारा निवासी

अदालत से

गजराज सिंह, रिसिया क्षेत्र के गोकुलपुर के सिक्खनपुरवा निवासी चंपा सिंह, विशुनापुर निवासी महाजन उर्फ इस्माइल व भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी गिरीश सिंह असलहे से लैस होकर उनके घर में घुस गए। तोताराम ने बंदूक से फायर कर कल्पनाथ को घायल कर दिया। घर में मौजूद उनकी पत्नी पूनम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया व बेटी की पिटाई करने के बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवर व 10 हजार रुपये लेकर फरार हो गए थे।

घायल कल्पनाथ की बहराइच जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक के भाई अमरनाथ की तहरीर पर सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया। सुनवाई व विचारण के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने आरोपित तोताराम व गजराज सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गिरीश सिंह को दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में फरार चल रहे महाजन उर्फ इस्माइल की पत्रावली सुनवाई के लिए अलग कर दी गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्ता ने बताया कि मामले के एक अन्य आरोपित चंपा सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।